

न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत-2023 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर / 134 / 2022

1. बालू पुत्र श्री पांचू गुर्जर निवासी सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. तेजु पुत्र जीवन
2. दाखु पत्नि भैरू
3. नारायण पुत्र भैरू
4. रंगलाल पुत्र भैरू
5. लाला पुत्र भैरू
6. गोपाल पुत्र मेवा
7. प्रभु पुत्र सादूल
8. भाली पत्नि सादूल
9. रतन पुत्र सादूल
10. सुरता पुत्री सादूल जातिगण गुर्जर निवासीगण सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- महावीर गुर्जर
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक- 11.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सरगांव पटवार क्षेत्र सरगांव भू0अ0नि0 क्षेत्र छछून्दरा के खाता सं0 156 में दर्ज ख0न. 939 रकबा 0.27 हैं0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.27 हैं0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 10 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 11 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर उनके के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत-2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी

उपसृण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

ग्राम सरगांव का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा सरगांव पटवार क्षेत्र सरगांव भू0अ0नि0 क्षेत्र छछून्दरा के खाता सं0 156 में दर्ज ख0न. 939 रकबा 0.27 हैं0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.27 हैं0 प्रार्थी की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक छछून्दरा को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ोसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(युवराज) अध्यक्ष 11/2/23
अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
रा0 लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपअध्यक्ष अधिकारी
भिनात्र (अजमेर)